महत्वपूर्ण

मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

चतुर्थ तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्र संख्याःटीएस–सीसीटीएनएस–21/2013 दिनांकःअप्रैल 21,2015

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक
एवं जनपदीय पुलिस प्रभारी उत्तर प्रदेश।

कृपया अवगत कराना है कि दिनांकः 10–04–2015 को दूरभाष पर इन्टरनेट की व्यवस्था के सम्बन्ध में जनपदों से सीसीटीएनएस कन्ट्रोल रूम स्तर से ज्ञात किया गया तो कतिपय जनपदों द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में अनभिज्ञता प्रकट की गयी तथा कतिपय जनपदों ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि इन्टरनेट हेतु पुलिस मुख्यालय स्तर से कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है।

2– उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के पत्र संख्याः सात–62(3)2011 दिनांकः 23–03–2015 का अवलोकन करें, जो आपको सम्बोधित किये जाने के साथ–साथ इस मुख्यालय को पृष्ठांकित किया गया है। जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है कि कि प्रदेश के थानों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी कार्यालयों सहित इन्टरनेट कनेक्शन की व्यवस्था के लिए धनराशि रू0 67,84,198/– (रू सरसठ लाख, चौरासी हजार, एक सौ अठ्ठानवे) प्रदेश के लिए आवंटित की गयी है।

3– अतः उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के पत्र संख्याः सात–62(3)2011 दिनांकः 23–03–2015 की छायाप्रति ई–मेल के माध्यम से इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि प्रकरण में निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नकःयथोपरि।

(डी0के0चौधरी)
पुलिस उप महानिरीक्षक,
तकनीकी सेवायें,उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– अपर पुलिस महानिदेशक(मुख्यालय), उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।

2– पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।

3– पुलिस उप महानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

फैक्स/समयबद्ध/अत्यावश्यक

उ0 प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-1

संख्या:सात-62(3)2011 दिनांक मार्च 23, 2015

सेवा में,

1. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवेज़, उ0प्र0।

विषय: प्रदेश के थानों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/ अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कार्यालयों सहित कुल 2208 लोकेशन्स पर इन्टरनेट कनेक्शन की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

कृपया पुलिस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 05.01.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या:9176-पु-7-14-01सीसीटीएनएस/ 2014 दिनांक 28.3.2014 द्वारा इन्टरनेट कनेक्शन, विभाग में पूर्व से स्थापित लैण्ड लाइन कनेक्शन पर ब्राड बैण्ड के माध्यम से असीमिति डाउनलोड के सबसे मितव्ययी योजना के अन्तर्गत कराने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार थानों/कार्यालयों में इन्टरनेट कनेक्शन लगवाये जाने हेतु निहित आवर्तक एवं माह जनवरी/फरवरी 2015 के बिलों के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से शसन द्वारा कुल रू0 71.23 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

क्रमांक	विवरण	संख्या
1.	समस्त जनपदीय वरि0 पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय	75
2.	जनपदीय अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय	124
3.	जनपदीय क्षेत्राधिकारी कार्यालय	381
4.	जनपदीय थाना	1439
5.	जीआरपी थाना	65
6.	रिपोर्टिंग आउट पोस्ट	105
7.	समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवेज़	06
8.	क्षेत्राधिकारी कार्यालय रेलवेज	13
	योग	2208

3. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें के पत्र दिनांक 2.3.2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्तानुसार 105 रिपोर्टिंग आउट पोस्ट में सीसीटीएनएस फंक्शनलिटी उपलब्ध नहीं है। अतएव कुल 105 रिपोर्टिंग आउटपोस्ट को छोड़कर अन्य शेष 2103 (2208-105 = 2103) लोकेशन्स पर इन्टरनेट की व्यवस्था कराया जाना अपेक्षित है।

4. उपरोक्तानुसार कुल 2103 लोकेशन्स (1439 थानों/65 जीआरपी थानों/ 75 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद कार्यालयों/ 06 पुलिस अधीक्षक, रेलवे कार्यालयों/124 जनपदीय अपर पुलिस अधीक्षकों/381 जनपदीय क्षेत्राधिकारियों/13 क्षेत्राधिकारी रेलवेज़ कार्यालयों) में शासनादेश दिनांक 28.3.2014 में वर्णित व्यवस्था के अधीन मानक मद "12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण' में प्रति लोकेशन मोडेम आदि की व्यवस्था रू0 2000/- तथा भारत संचार निगम लि0 की असीमित डाउनलोड की सबसे मितव्ययी ब्राडबैण्ड योजना के अधीन माह जनवरी एवं फरवरी 2015 के इन्टरनेट बिलों के भुगतान हेतु रू0 545/- प्रतिमाह (सेवाकर अतिरिक्त) की दर से

23/03 2015 7:53 PM FAX 0002

02 माह पर निहित व्ययभार के भुगतान हेतु मानक मद '13-टेलीफोन पर व्यय' के अन्तर्गत आपके निवर्तन पर पुलिस मुख्यालय के निम्नवत आबंटन आदेशों द्वारा कुल रू0 67,84,198/- का अनुदान आबंटित किया जा रहा है:-

क्रमांक	आबंटन आदेश संख्या एवं तिथि	आबंटी कार्यालय	लेखाशीर्षक मानक मद	आबंटित अनुदान
1.	2563/सात-62(3)2011 दिनांक 23.3.2015	समस्त जनपद उ0प्र0	2055-पुलिस आयोजनेत्तर-109-जिला पुलिस-07-जिला पुलिस (थाना)-12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	28,78,000/-
2.	-तदैव-	-तदैव-	2055-पुलिस आयोजनेत्तर-109-जिला पुलिस-07-जिला पुलिस (थाना)-13-टेलीफोन पर व्यय	17,64,214/-
3.	2563/सात-62(3)2011 दिनांक 23.3.2015	-तदैव-	2055-पुलिस आयोजनेत्तर-109-जिला पुलिस-03-जिला पुलिस-मुख्य- 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	11,60,000/-
4.	-तदैव-	-तदैव-	2055-पुलिस आयोजनेत्तर-109-जिला पुलिस-03-जिला पुलिस-मुख्य-13- टेलीफोन पर व्यय	7,11,000/-
5.	2561/सात-62(3)2011 दिनांक 23.3.2015	समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवेज़, उ0प्र0	2055-पुलिस आयोजनेत्तर-111- रेलवे पुलिस-03-मुख्य-12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	38,000/-
6.	-तदैव-	-तदैव-	2055-पुलिस आयोजनेत्तर-111- रेलवे पुलिस-03-मुख्य-13- टेलीफोन पर व्यय	23,294/-
7.	2564/सात-62(3)2011 दिनांक 23.3.2015	समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवेज़, उ0प्र0	2055-पुलिस आयोजनेत्तर-109- जिला पुलिस-08-जीआरपी थाना पुलिस-12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,30,000/-
8.	-तदैव-	-तदैव-	2055-पुलिस आयोजनेत्तर-109- जिला पुलिस-08-जीआरपी थाना पुलिस-13-टेलीफोन पर व्यय	79,690/-
		कुल योग		67,84,198/-

5. उल्लेखनीय है कि पुलिस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 22.1.2015 द्वारा पूर्ववत अवगत कराया गया है कि प्रदेश पुलिस के समस्त लैण्ड लाइन टेलीफोन कनेक्शन पर भारत संचार निगम लि0 की तरंग योजना दिनांक 1.7.2014 से लागू है। इस योजना के अन्तर्गत 1500 कनेक्शन्स पर ब्राडबैण्ड इन्टरनेट की सुविधा प्रदान की जा रही है। जिन कनेक्शन पर यह सुविधा प्रदान की जानी है, उन कार्यालयों के नाम एवं लैण्ड लाइन नम्बर पूर्व से भारत संचार निगम लि0 को उपलब्ध करा दिये गये है। शेष अन्य लैण्ड लाइन कनेक्शन पर यदि ब्राड बैण्ड कनेक्शन लिया जाता है, तो उन टेलीफोन नम्बर पर ब्राडे बैण्ड इन्टरनेट कनेक्शन हेतु अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा। ज्ञातव्य है कि जिन 1500 लैण्ड लाइन कनेक्शन पर तरंग योजना के अन्तर्गत ब्राड बैण्ड इन्टरनेट की सुविधा दिये जाने हेतु भारत संचार निगम लि0 को निर्देशित किया गया है, उनमें प्रदेश के किसी भी थानें का लैण्ड लाइन कनेक्शन सम्मिलित नहीं है।

6. उक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित कार्यालयों के जिन टेलीफोन कनेक्शन्स पर पूर्व से तरंग योजना प्रचलित है एवं उक्त 1500 की सूची में सम्मिलित हैं तथा इन्टरनेट के संचालन में कठिनाई आ रही है एवं वे टेलीफोन कनेक्शन उक्त 2103 लोकेशन्स में सम्मिलित हैं तो उन कनेक्शन पर उपरोक्तानुसार शासनादेश दिनांक 28.3.2014 में वर्णित व्यवस्था के अधीन इन्टरनेट कनेक्शन पर लगवाने हेतु भारत संचार निगम लि0 से अनुरोध किया जा सकता है तथा कालान्तर में उन टेलीफोन नम्बर की

23/03 2015 7:54 PM FAX 0003

सूचना पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है ताकि तरंग योजना में उस टेलीफोन नम्बर के स्थान पर किसी अन्य नम्बर को सम्मिलित करने हेतु भारत संचार निगम लि0 से अनुरोध किया जा सके।

7. निदेशानुसार अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार समयान्तर्गत कार्यवाही कराते हुये आबंटित किये जा रहे अनुदान का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत सुनिश्चित कराने की कृपा करें।

23/3/15

(आशुतोष मिश्र)
अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय,
निमित्त अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश।

फैक्स

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स, उ0प्र0।
4. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उ0प्र0।

फैक्स: 0522-2347000/2628400

प्रतिलिपि श्री शाहिद जमाल, सहायक महाप्रबंधक (ई0बी0), कामर्शियल, कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक, दूरसंचार यूपी ईस्ट (इन्टरप्राइज बिजनेस इकाई), भोपाल हाउस, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्तानुसार थानों/कार्यालयों में पूर्व से स्थापित लैण्ड लाइन कनेक्शन्स पर भारत संचार निगम लि0 की असीमित डाउनलोड की सबसे मितव्ययी योजना के अन्तर्गत ब्राड बैण्ड के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने विषयक अनुरोध प्राप्त होने पर तत्काल ब्राडबैण्ड कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

23/03 2015 7:54 PM FAX 0004